

केन्द्रीय सूचना आयोग  
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका  
नई दिल्ली - 110067.

\*\*\*\*\*

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/228  
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00198  
CICOM/R/2018/00106

दिनांक: 20.08.2018

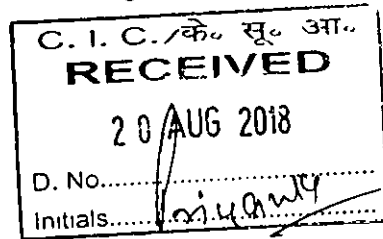
अपीलकर्ता : श्री अशोक कुमार,  
पुत्र - श्री श्रीराम, रि० रे० स्टे० मास्टर,  
मो० - आदर्श नगर कालोनी,  
गली नं. 1, रोजा जं०, पो० - रोजा आर० एस०,  
जिला - शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश - 242001.

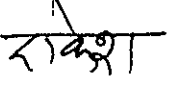
निर्णय की तारीख: 20.08.2018

|                                                      |                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| आर.टी.आई. आवेदन की तिथि                              | 03.10.2017                      |
| आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि           | 15.02.2018                      |
| प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी                | श्री ए. के. तलपात्रा            |
| प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि                        | 28.06.2018                      |
| प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि | 322/06.07.2018 (400/05.07.2018) |

- अपीलकर्ता का दिनांक 03.10.2017 का आर.टी.आई. आवेदन जो कि आयोग के डाक अनुभाग द्वारा भूलवश किसी अन्य रजिस्ट्री को अग्रसारित हो जाने के कारण आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 24.01.2018 को प्राप्त हुआ, जिसके प्रतिउत्तर में श्री ए. के. तलपात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई है। अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में दिनांक 22.01.2018 एवं 25.04.2018 को भी प्रथम अपील दाखिल करने का उल्लेख किया है, इस संदर्भ उल्लेख किया जाता है कि दिनांक 22.01.2018 एवं 25.04.2018 के प्रथम अपील का अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है।
- संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आयोग के आदेश सं. CIC/SB/C/2016/000148/MP एवं CIC/SB/A/2016/000662/MP की सूचना आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित प्रति की मांग की गई थी एवं आयोग के उक्त आदेश अपीलकर्ता द्वारा दाखिल द्वितीय अपील/शिकायत से ही संबंधित है। तदुसार श्री ए. के. तलपात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त - ए.बी. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के दस कार्यदिवसों के अंदर अपीलकर्ता को आयोग के आदेश सं. CIC/SB/C/2016/000148/MP एवं CIC/SB/A/2016/000662/MP की सूचना आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित प्रति उपलब्ध करवाई जाए।
- तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
- प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

प्रथम अपील के निपटान में हुए विलम्ब के लिए खेद है।



  
(आर. के. सिंह)  
अपर सचिव एवं  
प्रथम अपीलीय अधिकारी  
दूरभाष - 011-26162290